



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि.प्रा./विविध-3-02/2017

475 /पटना, दिनांक 10/06/2017

प्रेषक :

राजकिशोर प्रसाद ,
उप सचिव

सेवा में :

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
अररिया/ बाँका/ बेगूसराय/ भागलपुर/ बक्सर/ दरभंगा/ पूर्वी चम्पारण/ गया/ गोपालगंज/ जमई/ जहानाबाद/ कैमूर/
कटिहार/ खगड़िया/ किशनगंज/ लखीसराय/ मधेपुरा/ मधुबनी/ मुंगेर/ नालन्दा/ नवादा/ पटना/ पूर्णियाँ/ रोहतास/
समस्तीपुर/ सारण/ शेखपुरा/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ सिवान/ सुपौल/ सहरसा/ वैशाली/ प० चम्पारण (बेतिया)।

विषय : प्राधिकार मुख्यालय से मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन, 2017 के निमित्त उपलब्ध कराये जाने वाले निर्वाचन सामग्रियों की प्राप्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन, 2017 के निमित्त निर्वाचन सामग्रियाँ तत्काल बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के वेबसाइट www.bsea.bih.nic.in से डाउनलोडकर उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही निम्नलिखित निर्वाचन सामग्रियाँ दिनांक 12.06.2017 से 14.06.2017 तक कार्यालय अवधि में प्राधिकार कार्यालय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है :-

- निर्वाचन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका (प्रति प्रखंड-1)
 - पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका (मतदान केन्द्रों की संख्या+10% अतिरिक्त, न्यूनतम-2)
 - मतगणना अनुदेश पुस्तिका (प्रति प्रखंड- 2 हस्तपुस्तिका)
 - निर्वाचन हस्तक (प्रति प्रखंड-1)
 - नामांकन पत्र (प्रपत्र 2-अनुलग्नकों के साथ) (प्रति प्रखंड- 50 प्रपत्र अनुलग्नकों सहित)।
 - प्लास्टिक वोटिंग स्टीक (प्रति मतदान केन्द्र- 2 की दर से)
 - ब्रास मेटल सील (पी) (प्रति मतदान केन्द्र- 1 की दर से)
 - ब्रास मेटल सील (आर) (प्रति प्रखंड- 1 की दर से)
 - पेपर सील (प्रति प्रखंड- 10 की दर से)
 - निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 एवं भारतीय दंड संहिता के सामान्य एवं दंड (Penal) प्रावधानों के संबंध में सूचना नामांकन प्रपत्र के साथ संलग्न
 - मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन, 2017 (मतदाता जागरूकता कार्यक्रम)
 - पोस्टर
- प्रपत्रों की अधिक आवश्यकता की स्थिति में इसकी छायाप्रति कराकर उपयोग किया जा सकता है।
 - अतः आपसे अनुरोध है कि निर्वाचन सामग्री एवं अन्य कागजातों की प्रतियाँ आदि प्राप्त करने के लिए किसी पदाधिकारी को प्राधिकार कार्यालय में उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करते हुए प्राधिकृत करने की व्यवस्था की जाय ताकि उन्हें सामग्रियाँ वितरित किया जा सके।

विश्वासभाजन
21/06/17
(राजकिशोर प्रसाद)
उप सचिव

ज्ञापांक: 475

पटना, दिनांक: 10/06/2017

प्रतिलिपि: जिला प्रत्येकृत पदाधिकारी/ अररिया/ बाँका/ बेगूसराय/ भागलपुर/ बक्सर/ दरभंगा/ पूर्वी चम्पारण/ गया/ गोपालगंज/ जमूई/ जहानाबाद/ कैमूर/ कटिहार/ खगड़िया/ किशनगंज/ लखीसराय/ मधेपुरा/ मधुबनी/ मुंगेर/ नालन्दा/ नवादा/ पटना/ पूर्णियाँ/ रोहतास/ समस्तीपुर/ सारण/ शेखपुरा/ शिवहर/ सीतामढ़ी/ सिवान/ सुपौल/ सहरसा/ वैशाली/ प० चम्पारण (बेतिया)/ संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/06/17
उप सचिव